छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण विकास में पंचायत राज की भूमिका छ ग के कोरबा, करताल तथा पाली तहसील के गाँवों में पंचायतों की भूमिका का एक तुलनात्मक–शोध –अध्ययन

विद्यानान्द पाण्डेय* **रेखा यादव***

**शोध छात्र, रा स्ना महा कोटद्वार गढ़वाल*

डॉ0 प्रेम नारायण यादव

एसो0 प्रोफे0, अर्थशास्त्र विभाग

राजकीय महाविद्यालय, दुगनाकुरी,बागेश्वर, उत्तराखण्ड

Email: rekhayadav092@gmail.com

सारांश

ग्रामीण क्षेत्रों में सभी विकास कार्यक्रमों की उपयोगिता व क्रियान्वयन हेतु जन चेतना को जागृत करना आवश्यक होता है। इस महत्वपूर्ण कार्य को पंचायती राज संस्थाओं के अलावा अन्य कोई संस्था नहीं कर सकती है। ये संस्थायें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की आधारशिला हैं। इनकी स्थापना के समय से ही स्वीकार किया गया कि पंचायतों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने के बेहतर परिणाम प्राप्त होगे, अतः इस बात को दृष्टिगत रखते हुए ही ग्रामीण विकास योजनाओं को सफल बनाने का दायित्व इन्हें सौंपा गया। प्रस्तुत शोध–पत्र में छत्तीसगढ़ के कोरबा, करताल तथा पाली तहसील के गाँवों में पंचायतों की भूमिका का एक तुलनात्मक शोध अध्ययन करते हुए न सिर्फ पंचायतों के द्वारा विकासात्मक कार्यों के बारे में जानकारी एकत्रित की गई, बल्कि यह भी दर्शाया गया है कि किसी भी व्यवस्था की सफलता के लिए जनमानस में शिक्षा का प्रचार–प्रसार कर जागरुकता लाना और उनकी मानसिकता और मनोवृत्ति में परिवर्तन करना जरूरी है, क्योंकि मानसिकता एवं मनोवृत्ति में परिर्वतन ही वह सशक्त माध्यम है जो सभी समस्याओं का हल है।

मुख्य शब्द–*पंचायत, व्यक्तिगत हित मूलक कार्यक्रम, सामाजिक सामुदायिक निर्माण कार्य, पारिवारिक हित, मूलक कार्यक्रम, महिला उत्थान।*

भूमिका

भारत एक कृषि प्रधान देश होने के साथ–साथ गाँवों का भी देश है। प्राचीन समय में ग्रामीण समुदाय की सामाजिक संरचना का निर्माण संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था एवं ग्रामीण पंचायतों पर आधारित थी। ग्रामीण पंचायतों का गठन ग्रामीण स्वशासन की एक इकाई के रुप में हुआ था। इसके द्वारा ग्राम्य जीवन में शान्ति एवं सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाता था। अंग्रेजो

के शासन में यहाँ पर ग्रामीण पंचायतों को खत्म सा कर दिया गया। अतः स्वतंत्रता के पश्चात् भारत के संविधान की धारा–40 में यह प्रावधान किया गया कि ''राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें समस्त अधिकार प्रदान करेगा, ताकि वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रुप में कार्य करने योग्य हो जाएँ''।

पंचायती राज्य की स्थापना अर्थात् 'लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण' लोक सशक्तीकरण का एक प्रभावशाली माध्यम है। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का अभिप्राय यह है कि लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के आधार पर विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया जाए और उनमें प्रशासनिक तंत्र का इस प्रकार वितरण किया जाए कि जनता या लोगों को पग–पग पर उसकी अनुभूति हो सके। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत समस्त प्रशासनिक तथा न्यायिक और कल्याण कार्यों को पूर्ण करती है। ब्लाक स्तर पर पंचायतों और ग्रामीण संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा जिला स्तर पर जिला परिषद ग्रामीण स्वराज्य की इकाइयाँ है। ग्राम पंचायतों पर सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। पंचायत इंस्पेक्टर, पंचायत अधिकारी तथा पंचायत निर्देशक विभिन्न स्तरों पर पंचायतों के कार्यों पर दर्षष्टि रखते हैं। लगभग 10 वर्षों तक पंचायत राज की यह व्यवस्था सन्तोषजनक रुप से चली, किन्तु बाद में स्थिति बिगड़ गई। भारत के अधिकंश राज्यों विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों में अनेक समस्याएँ घर कर गयी। कुछ राज्यों में तो व्यवहार में एक दशक से भी अधिक समय तक पंचायत राज की व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का विचार किया जिसे कार्यरुप में परिणित करने हेतु सन् 1993 में 'पंचायत राज' या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के सम्बन्ध में 73वाँ 'संवैधानिक संशोधन अधिनियम' पारित किया गया। इसके अन्तर्गत पंचायतों के कार्य–क्षेत्र का विस्तार किया गया और कार्यों तथा अधिकारों पर उन्हें पूर्ण स्वामित्व भी दिया गया।

73वें संविधान संशोधन में यह भी व्यवस्था कर दी गयी है कि ग्राम पंचायत की अध्यक्षता सरपंच करेगा। सरपंच को वित्त संबंधी अधिकार प्राप्त है। यदि सरपंच किसी तरह की धांधली करता है तो वार्ड एवं ग्रामीण सरपंच कार्यों की निगरानी रख सकेंगे। असंतुष्ट होने पर 15 दिन के भीतर ग्राम की बैठक बुलाई जा सकती है और सरपंच के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जा सकता है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. अध्ययन–क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों द्वारा प्रजातान्त्रिक शक्ति को ग्रामीण जनता तक प्रसारित करना संभव हो पाया है अथवा नहीं की जानकारी प्राप्त करना।
2. आर्थिक व सामाजिक समस्याओं के समाधान और पुनर्निर्माण में ग्राम पंचायतों की भूमिका का अध्ययन करना।

अध्ययन–क्षेत्र

ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका का रेखांकन करने हेतु छत्तीसगढ़ के कोरबा, करताल तथा पाली तहसील के दो–दो गाँवों को अध्ययन–क्षेत्र के रुप में चयनित किया गया।

कोरबा तहसील के अन्तर्गत कोरकोमा तथा गेरांव गाँव, करताल तहसील के अन्तर्गत सरगबूँदिया तथा बड़मार गाँव एवं पाली तहसील के अन्तर्गत सिरली तथा नेवसा गाँव का

अध्ययन किया गया।

कोरबा से कोरकोमा और सरगबूँदिया गाँव मुख्य मार्ग पर है। जबकि गोरांव, सिरली, बड़मार तथा नेवसा गाँव मुख्य मार्ग से कटे हुए गाँव हैं।

कोरकोमा ग्राम पंचायत के आश्रित गाँव कचन्दी, कैलाश नगर, शिवनगर तथा कोरकोमा है। गेरांव ग्राम पंचायत का आश्रित गाँव बताती है। सरगबूँदियाँ का आश्रित गाँव सरगबूँदियाँ तथा ढनढनी है। बड़मार ग्राम पंचायत सूडयारा, बड़मार तथा टिमनभावना नामक गाँवों को मिलाकर बनाया गया है। सिरली ग्राम पंचायत सिरली तथा भाटापारा दो गाँवों को मिलाकर बनाया गया है। नेवसा ग्राम पंचायत सुपेत पारा, बस्ती पारा, ओझा पारा, धनवार पारा तथा बिछीपारा को मिलाकर बनाया गया है।

समंकों का संकलन

प्रस्तुत शोध–पत्र में सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु प्राथिमक एवं द्वितीय समंको को सम्मिलित किया गया है। जिसमें विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं, किताबों, वेबसाइटों की सहायता ली गयी है।

शोध–अध्ययन किया गया

1. व्यक्तिगत हित–मूलक कार्यक्रम
2. सामाजिक (सामुदायिक) निर्माण कार्य
3. पारिवारिक हितमूलक कार्यक्रम
4. निर्माण–कार्य
5. महिला–उत्थान हेतु किये कार्य

व्यक्तिगत हित–मूलक सम्बंधी कार्यक्रम का अध्ययन

आर्थिक अथवा औद्योगिक विकास में व्यक्तिगत हित–मूलक कार्यक्रम के महत्व को प्रतिपादित करते हुए अर्थशास्त्र के पितामाह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का कथन है कि ''प्रत्येक राष्ट्र का वार्षिक श्रम ही वह कृति है, जो मूलतः उस राष्ट्र के जीवन के लिए आवश्यक और सुविधाजनक उन वस्तुओं की उपलब्धि कराता है, जिनका वह राष्ट्र प्रतिवर्ष उपयोग करता है।'' अर्थात उत्पादन के साधन के रुप में श्रम अथवा व्यक्ति अति महत्वपूर्ण है। अतः पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्तिगत हित–मूलक संबंधी कार्यक्रम का अध्ययन अति आवश्यक है।

क्र.व्यक्तिगत हित–मूलक कार्यक्रम	कोरबा तहसील		करताल तहसील		पली तहसील	
	कोरकोमा	गेरांव	सरगबूँदिया	बड़मार	सरली	नेवासा
1. वृद्धावस्था पेंशन	96	23	96	55	23	49
2.सामाजिक सुरक्षा पेंशन	59	111	135	42	22	58
3.सुखद सहारा पेंशन	35	17	29	43	15	32
4. विधवा पेंशन	57	11	22	02	12	16
5.विकलांग पेंशन	23	02	08	13	1	130

इस सारणी को देखने से स्पष्ट है कि वष्द्धावस्था पेंशन कोरकोमा तथा सरगबूँदिया में, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सरगबूँदियाँ तथा बड़मार गाँव में, सुखद सहारा पेंशन बड़मार तथा कोरकोमा गाँव में विधवा पेंशन की स्थिति कोरकोमा में तथा विकलांग पेंशन नेवासा में ज्यादा उच्च स्थिति में क्रियान्वित हुई है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा संकटग्रस्त लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनके जीवन को सुरक्षित करना है।

ग्राम पंचायतों की परिकल्पना ग्रामवसियों के एक संस्थागत मंच के रूप में की गई जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि गाँव की प्रत्येक आवाज को सुना जाए। समाज के प्रत्येक वर्ग की आवश्यकताओं और चिंताओं का निराकरण किया जाता है और इसके तहत महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2012 के संशोधन अनुसार निजी, आंगनबाड़ी व स्कूलों में शौचालय, सेकपिट, रिचार्जपिट, ठोस एवं तरल अपविष्ट प्रबंधन, नोटेप, वर्मी कम्पोस्ट, लिक्विड बायो मेन्योर, कुक्कुट आश्रय स्थल बकरी आश्रय स्थल, पक्का फर्श, यूरिन टेंक निर्माण, अजोला, सार्वजनिक तलाब में मछली पालन, बाड़ नियंत्रण, नहरों की मरम्मत व गहरीकरण, कन्टूर ट्रेंच, कन्टूर बंड, बोल्डर चेक बंडिंग, गोबियन स्ट्रक्चर, अंडर ग्राउण्ड डाईक, अरदन डेम, डग आउट फर्म पोण्ड कार्यों का ग्राम सभा में अनुमोदन कराकर पूरक कार्ययोजना तैयार कर तथा फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम–पंचायतों को सौंपी गई।

सामाजिक सामुदायिक निर्माण कार्य से संबंधित अध्ययन

आजादी के बाद भारत में तीव्र औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला, किन्तु सामाजिक सामुदायिक निर्माण कार्यों को बढ़ावा नहीं मिलने के कारण विकास का कार्य धीमा हुआ है। दरअसल सामाजिक सामुदायिक निर्माण कार्य में बहुधा दूसरा विकल्प अपनाया जाता है। सामुदायिक निर्माण कार्य में यह अपेक्षा की जाती है कि निर्माण कार्यक्रमों में श्रमशक्ति प्रवाह के अन्य पहलुओं का जिक्र नहीं किया जाता है।

कोरबा तहसील

1. कोरकोमाः तालाब निर्माण, स्वागत द्वारा, मंच में छत का निर्माण, 600 मीटर गली का कंक्रीटीकरण, तलाब गहरीकरण तथा पचरी निर्माण, वाचनालय भवन का निर्माण, हाईस्कूल भवन निर्माण, चबुतरा–3

2. गेरांवः सामुदायिक भवन निर्माण, आँगनबाड़ी भवन निर्मा–2, सामुदायिक भवन–2, सचिव आवास निर्माण, 600 मीटर कंक्रीटीकरण, मुलभूत मद से बोर पाइप बिछान का कार्य करतला तहसील

1. सरगबूँदियाः तलाब सौन्दर्यीकरण, सामुदायिक भवन–निर्माण, सचिव आवास, बाजार में मंच का निर्माण व कंक्रीटीकरण, ग्राम ढनढनी में पुलिया का निर्माण, मुक्तिधाम का निर्माण

2. बड़मारः आँगनबाड़ी–2, सी.सी. रोड–700 मीटर, भारत भवन धाम–10 लाख का लागतऋण, पचरी का निर्माण, कुँआ निर्माण, मुलभूत मद से गाँव में विद्युतीकरण

पाली तहसील

1. सिरलीः सामुदायिक भवन–2,आँगनबाड़ी भवन–2, उचित मूल्य की दुकान–1,

मुक्तिधाम, भारत भवन (10 लाख की लागत पर) प्रगति पर सचिव आवास, व्यावसायिक परिसर इत्यादि।

2. नेवसः ऑगनबाड़ी केन्द्र–4, सांस्कृतिक मंच–2, उचित मूल्य गोदाम–1, किचन शेड–1, धोबी मंच निर्माण–1, कुँआ जीर्णोद्धार–3, स्नानघर–2, मूत्रालय–6, सार्वजनिक मंच निर्माण–3, चबूतरा निर्माण–1, पचरी निर्माण–3, सीसी पथ निर्माण–6 जगहों पर, यत्री प्रतिक्षालय–1, नाई–धोबी भवन–1, ऑफिस का साज–सज्जा (60000 की लागत से) बनाया गया है।

तीनों तहसीलों के 6 गाँवों में हुए ये सामाजिक निर्माण कार्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि मनुष्य अपने परिवेश की उपज है, उसे बेहतर बनाने के लिए उस परिवेश को बदलना होगा जिसमें वह पलता है, बढ़ता है और इसी परिवेश को आधुनिक समाज आर्थिक शब्दों में विकास कहता है।

पारिवारिक हितमूलक कार्यक्रम का अध्ययन

कोरबा तहसील के कोरकोमा में 6 विकलांग को द्राइसाइकल वितरण, बोर–2, किसानों को उन्नत बीज, खाद तथा दवाईयॉ व सब्जी उत्पादन का प्रशिक्षण जबकि गेरांव में 120 किसानों का 7000 के मद से भूमि समतलीकरण का कार्य किया गया है। यहाँ पर सिंचाई के लिए 11 कुंआ का निर्माण भी किया गया है।

करताल तहसील के सरगबूँदियाँ में 8 परिवारों की भूमि सुधार की गई। 25 इंड्रिरा आवास बनाये गए। रोजगार गारंटी के तहत 450 जॉब कार्ड बने जिसमें 120 लोगों को काम मिला है।

पाली तहसील के सिरली गाँव 8 इंदिरा आवास बनाये गये जिसके लिए प्रत्येक को 70000 का मद प्राप्त हुआ। जबकि नेवसा गाँव में 40 इंदिरा आवास तथा 6 पुलिया बनायी गयी।

यदि इन गाँवों में पारिवारिक हितमूलक कार्यक्रमों का अध्ययन करें तो स्पष्ट होता है कि पिछले कुछ दशकों में राज्य और मुक्त बाजार की प्रतिस्पर्धी और कहीं–कहीं अनुपूरक भूमिकाओं के समतुल्य एक तीसरा क्षेत्र तेजी से उभरा है। इसे कुछ लोग नागरिक समाज का नाम देते हैं और कुछ विकास क्षेत्र का। यह तीसरा क्षेत्र राजनीति और अर्थनीति में सीधा हस्तक्षेप न करके मुख्यतः समाज के हशिए पर धकेल दी गई आबादी ग्रामीण निर्धन, महिलाएँ, पिछड़े समुदाय, देशज, आदिवासी और वनवासी समूह, विकलांग वष्द्ध एवं विस्थापितों को समाज के सामन्य विकास स्तर पर लाने के लिए कार्य करता है जिसके लिए ग्राम–पंचाययततों की भूमिका आने वाले दिनों में और महत्वपूर्ण हो जाएगी।

निर्माण कार्य का अध्ययन

कोरकोमा में 3 चबूतरा तथा हाईस्कूल भवन–निर्माण, जबकि गेरांव में प्रधान पाठक कक्षा–1, इंदिरा आवास में 70 मकान, ऑगनबाड़ी भवन–1, तलाब गहरीकरण–2 और तलाब निर्माणीकरण–2, 800 मीटर मोरम सड़क बनाया गया। स्टाप डेम–2 बनाया गया।

सरगबूँदियाँ ग्राम–पंचायत में कंप्यूटर कक्षा–1 ढनढनी में सार्वजनिक मंच का निर्माण, उचित मूल्य की दुकान का निर्माण किया गया। इसी के तहत ग्राम बड़मार में तलाब निर्माण–2,

रोजगार गारंटी के तहत–सड़क निर्माण, तलाब गहरीकरण, सचिव–आवास का निर्माण, विद्यालय परिसर में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण तथा 2 किचन शेड बनाये गये।

सिरली गाँव में तलाब निर्माण–4, व्यावसायिक परिसर में निर्माण, सी.सी. रोड, तलाब गहरीकरण का कार्य किया गया। जबकि नेवसा में माध्यमिक विद्यालय भवन–1, 5 लाख का नेवसा पाट पहाड़ में मंच का निर्माण, तलाब निर्माण–2, तलाब गहरीकरण–2 का कार्य किया गया है।

निर्माण कार्य के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि हमारे नीति–निर्माता भी यह मानते हैं कि ये विकास संबंधी ऐसे व्यापक मसले हैं जिन्हें राज्य केवल अपने बल–बूते कानूनों को बनाकर नहीं कर सकती। इसीलिए विकास का क्षेत्र अब अधिक व्यापक कर पंचायत स्तर तक लाया जा रहा है और ऐसे निम्न स्तर से विकास कार्यों की शुरुआत यह बताती है कि अब सामान्य व्यक्ति को भी विकास के हो रहे कार्यक्रमों पर बोलने की, जानने की और सुनने की पूरी आजादी है।

महिला उत्थान हेतु किये गये कार्यों का अध्ययन

ग्राम कोरकरोमा 5 स्व–सहायता समूह के माध्यम से भोजन हेतु सहयोग प्रदान किया जाता है। जबकि गेरांव में 8 स्व–सहायता समिति का गठन किया गया है।

करतला तहसील के सगरबूँदियाँ में सिलाई–कढ़ाई प्रशिक्षण दोना–पतल बनाने का प्रशिक्षण, स्व–सहायता समूहों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा उचित मूल्य की दुकान बनाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किये गये।

पाली तहसील के सिरली गाँव में 6 महिलाओं की सिलाई–कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया गया। सब्जी उत्पादन हेतु महिला समितियों को बीज–खाद तथा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मितानीन को साइकिल प्रदान किया गया वहीं नेवसा गाँव में भी 6 महिलाओं को सिलाई–कढ़ई प्रशिक्षण दिया गया।

महिला उत्थान हेतु किये कार्यों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत के माध्यम से अब महिलाएँ पहले से आज ज्यादा सशक्त हुई हैं। घर के बाहर अपने और परिवार के लिए अब वह आर्थिक रूप से अधिक स्वतत्रं बनायी जा रही है गाँव में महिलाओं द्वारा उद्यमी के रुप में उदय भले ही वह छोटे स्तर का क्यों न हो एक प्रशंसनीय पहल है।

हमारे देश या तंत्र की असफलता के लिए सर्वप्रथम दोष अयोग्य तथा उच्चतम नेतष्त्व को दिया जाता है। अतः आवश्यकता होती है कि सर्वोच्च नेतष्त्व वर्ग में उत्तम, मंजे हुए तथा अनुभवी लोग पहुॅचे। पंचायतों में काम करते हुए पंचायत प्रतिनिधियों को स्वतः ही उत्तम प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है जिसका उपयोग वे भविष्य में नेतृत्व के उच्चतर सोपानों पर कर सकते है। जनता के संपर्क में रहने के कारण शिकायतों तथा समस्याओं के प्रति अति संवेदनशील हो जाते है। दूसरों के दृष्टिकोण को उचित सम्मान देने तथा सभाओं में भाग लेने का उनका अनुभव समष्द्ध हो जाता है। पंचायतों के माध्यम से सर्वोच्च पद पर पहुँचने वाला व्यक्ति सहृदय, परिश्रमी तथा जनता की नाड़ी को सही–सही परखने वाला वैद्य होता है क्योंकि वह स्वयं के परिश्रम द्वारा शिखर तक पहुँचता है।

ग्राम पंचायत क्षेत्र के पटवारी, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला एवं बाल विकास के पर्यवेक्षक, निःशक्त पुर्नवास कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग की मितानिन, प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शालाओं के प्रधान पाठक, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, हैण्ड पम्प मैकेनिक, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंतरिक लेखा परीक्षण, एवं करारोपण अधिकारी व पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक इत्यादि उस क्षेत्र को विकसित करने के द्योतक और प्रेरक होते है। ये सभी किसी भी ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सभाओं से सीधे तौर पर जुड़े होते है। अतः ग्राम पंचायतों द्वारा प्रजातान्त्रिक शक्ति को ग्रामीण जनता तक प्रसारित करना संभव हो पाता है।

शोध–अध्ययन के द्वारा विकास प्रक्रिया में विरोधाभास दिखने का कारण निम्न है–

1. विकास के लाभों का बहुसंख्या तक न पहुँच पाना।
2. नौकरशाही एवं क्षेत्रीय प्रशासकों की उदासीनता।
3. अज्ञानता एवं क्षेत्रीय प्रशासकों की उदासीनता।
4. संवदहीनता, निरक्षरता एवं अंतःक्रियाओं की कमी।
5. संवादहीनता, संचार का अभाव, संपर्क मार्गों की कमी तथा यातायात समस्याएं।
6. लोगों में विकास, प्रौद्योगिकी और संगठनात्मक क्रियाकलापों के प्रति स्वयं की दृष्टि का अभाव।
7. ग्राम सभा की बैठक में लोगों का न आना जिससे विकास योजनाओं पर चर्चा नहीं हो पाती है।
8. कभी–कभी ग्राम सभा के द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए जिन हितग्राहियों का चयन किया जाता है वे हितग्राही वास्तवकि नहीं होते।
9. ग्राम सभा की विफलता का अन्य कारण जनप्रतिनिधियों में ग्राम सभा प्रति जागरुकता की कमी है। जन प्रतिनिधियों द्वारा भी ग्राम सभा को सशक्त नहीं किया जाता है।
10. ग्राम पंचायत के सामने समस्या यह भी आती है कि कुछ लोगों को ग्राम सभा का फैसला मंजूर नहीं होता है।

निष्कर्ष

अध्ययन से स्पष्ट है कि विकेन्द्रीत प्रणाली की ग्राम सभाओं की सक्रियता से ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास का कार्य ईमानदारी और निष्ठा से कर सकती है। ग्राम सभा ही ग्रामपंचायतों पर नियंत्रण कर सकती हैं। ग्रामवासियों को ग्राम सभा का महत्व, कार्य और अधिकारों को समझना होगा क्योंकि यही एक ऐसा मंच है जहाँ पर सामाजिक अंकेक्षण हो सकता है। इसलिए ग्राम सभा का जीवंत रुप में कार्य करना अनिवार्य हो जाता है। ग्रामीण पंचायत न केवल लोकतंत्र के प्रशिक्षण की प्राथमिक पाठशाला है वरन योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की दिशा में चल रहे विकेन्द्रीकरण की आधारशीला भी हैं उल्लेखनीय है कि सभी गाँवों की अलग समस्याएं हैं तो कुछ गाँवों की अलग। इस कारण विकेन्द्रित योजना पर विविध प्रकार के दबाव भी हैं। इनमें राजनैतिक बनाम विकेन्द्रकृत शक्ति का अभाव, प्रशासनिक संस्थागत आवश्यकताओं

का अभाव, आर्थिक, भौगोलिक तथा सामाजिक एवं मानवीय साधनों के द्वारा उत्पन्न विरोध प्रमुख है।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि विकास योजनाओं का निर्माण व इसका क्रियान्वयन, लाभार्थियों का चयन, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं तथा उसके निराकरण, कृषिगत वस्तुओं से संबंधित बाजार, लागत एवं मूल्य के निर्धारण आदि में ग्राम सभा की भूमिका को स्थापित कर दिया जाए तो छत्तीसगढ़ न केवल भारत के एक अग्रणी राज्य के रुप में विकसित होगा वरन केरल की तरह मानव विकास सूचकांक (जो प्रतिव्यक्ति आय, साक्षरता की दर एवं स्वास्थ्य मानकों पर आधरित है) में विश्व के विकसित देशों की श्रेणी में आ सकता है।

सुझाव

1. ग्राम सभा संपूर्ण पंचायती राज व्यवस्था का दिल व दिमाग है, क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव यही संस्था करती है। इसके अलावा कुछ राज्यों को छोड़कर ग्राम–पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव भी यही संस्था करती है। अतः यह संस्था जितनी ही जागरुक व शक्तिशाली होगी, पंचायती राज उतना ही मजबूत होगा

2. पंचायत के तीनों स्तरों ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या क्षेत्र और जिला पंचायत में कार्यों का बँटवारा इन स्तरों की क्षमता के आधार पर होना चाहिए अर्थात् जो कार्य उचित प्रकार से ग्राम पंचायत स्तर पर हो सकता है वह अन्य स्तरों को नहीं सौपना चाहिए।

3. ग्राम पंचायत के द्वारा आश्रित गाँवों के लिए ग्रामवार समय–सारणी बनाया जाना ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रामवासी इसमें भागीदारिता निभा सके।

4. ग्राम–पंचायतों में पूर्व की ग्राम सभाओं में पारित संकल्पों के पालन प्रतिवेदन के साथ ही गाँव में आगामी वित्तीय बर्ष में किए जाने वाले विकास कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन बनाया जाना चाहिए जिससे यह लाभ होगा कि एक पंचायत अपने कार्यकाल में दूसरे पंचायत कार्यकाल की तुलना में अच्छा कार्य कर सके।

5. अनूसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी के प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में पंचायतों द्वारा ग्रामीण को त्वरित जानकारी दी जाए। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि अनेक बार जानकारी के अभाव में अन्य कार्यो में व्यस्त ग्रामीण इनका लाभ नहीं ले पाते और ग्राम पंचायत अपना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती है।

6. ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए नवीन कर अधिरोपित करने हेतु संभावित विषय–वस्तुओं को सूचीबद्ध करना तथा अनिवार्य कर, वैकल्पिक कर तथा अन्य फीस की जानकारी का ग्राम पंचायत की दिवाल पर पेन्ट से लेखन कराया जाना आवश्यक है ताकि इसमें पारदर्शिता आ सके।

7. ग्राम सभाओं द्वारा पंचायतों की स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक है कि पंचायत के पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों और अधिकारी कर्मचारियों के नाम का वाचन किया जाना चाहिए जिनके ऊपर पंचायतों की राशि बकाया है।

8. ग्रामीणों को सस्ता न्याय दिलाने के लिए न्याय पंचायतों को पंचायती राज व्यवस्था का सक्रिय अंग बनाना चाहिए।

9. ग्रामों में रोजगार का मुख्य साधन कृषि है। इसलिए यह बेहतर होगा कि प्राथमिक साख संस्थाओं और ग्रामों में अलग–अलग उद्देश्य के लिए कार्यरत अन्य संस्थाओं और पंचायतों का आपस में समन्वय हो और ये मिलकर ग्रामों के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए कार्य करें।

10. ग्राम प्रतिनिधियों की दृढ़ इच्छाशक्ति, पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं के सहयोग से आर्थिक व सामजिक विकास कार्यों की प्राथमिकताओं का निर्धारण, ईमानदारी से क्रियान्वयन, ग्राम के सभी बालिग लोगों का ग्रामसभा के सदस्यों के रुप में पूरा–पूरा सहयोग, सरकारी तंत्र द्वारा अपेक्षित सहायता, सरपंचों व पंचों का आवश्यक प्रशिक्षण, उचित मार्गदर्शन और स्वंयसेवी संस्थाओं और समाज सेवा में तन–मन से लगे लोगों, विशेषकर युवा वर्ग का सहयोग ग्राम पंचायत के उद्देश्य को साकार कर सकता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है।

संदर्भ ग्रंथ

1 जाथर, आर.वी. (1964): **'एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया',** इंसट्यूट ऑफ इकोनोमिक रिसर्च, धारवाड़

2 नायडू, प्रकाश (1984): *' एवोल्यूशन स्टडी ऑफ इन्टीग्रेटेड रुरल डेवलपमेंट प्रोगगाम',* प्रोजेक्ट रिपोर्ट महा–नवंबर

3 भूषण, राकेश (2001): *'डीसेंद्रालासाइज्ड प्लानिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल,* साकेत पब्लिकेशन न्यू दिल्ली

4 महेश्वरी, एस.आर. (1985): *'रुरल डेवलमेंट इन इंडिया',* सेज पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली

5 मैथ्यू, जार्ज (1995): *'पंचायती राजःलेजिशलेशन टु मूवमेंट',* सामाजिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

6 सकुन, प्रज्ञाचाक्षु (2010): *'गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम व पंचायती व्यवस्था'*

7 श्रीवास्तव, अरुण (1994)*: भारत में पंचायती राज,* आर.वी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर

8 जिला योजनाः योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर (2007)

9 छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण (2010–11), रायपुर

10 ग्रामीण विकास की विकेन्द्रित व्यवस्था, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल